दिनांक:14.05.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

मात्र 48 घण्टे में थाना गागलहेड़ी पुलिस व स्वाट टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर सहित 02 बाल अपचारी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 8,14,735/- रुपये नगद, 01 आईफोन-11 व जेवरात बरामद ।

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा 48 घण्टे के भीतर घटना का सही अनावरण कर भारी बरामदगी करने पर पुलिस टीम को 25,000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 11/12.05.2023 की रात्रि को वादी संदीप सैनी पुत्र रमेश सैनी निवासी ग्राम दिनारपुर मूल हरौड़ा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह मे गये हुए थे। पडोसी द्वारा वादी को फोन करके बताया गया कि आपके घर से एक चोर कूदकर गया है, सम्भवतः चोरी करके गया है। वादी ने घर आकर देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं तथा सेफ से नकदी व जेवरात चोरी हो गये हैं। जिसके सम्बन्ध मे वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 81/23 धारा 380 भादवि बनाम लक्की उर्फ प्रीत सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम दिनारपुर निकट भगवानपुर तिराहा मूल निवासी ग्राम रंगैल थाना गागलहेडी व उसके अज्ञात साथी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर चोरो की गिरफ्तारी व घटना के अनावरण हेतु स्वाट टीम व थाना गागलहेड़ी पुलिस को निर्देशित किया । आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी श्री सुनील नेगी व स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.05.2023 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 0081/23 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त **1. संजू पुत्र मुन्ना निवासी दिनारपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर 2. भूपेन्द्र पुत्र ठाठ सिंह निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर तथा 02 बाल अपचारी 3. लक्की पुत्र अनिल निवासी ग्राम रंगैल थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर 4. निखिल पुत्र बिन्दर निवासी दिनारपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर** को उग्राहू मोड़ से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 8,14,735/- रुपये नगद, 04 जोडी पाजेंब सफेद धातु, 04 जोडी बिछवा सफेद धातु, 02 सिक्के सफेद धातु, 01 मंगलसूत्र मोतियो का, 01 मंगलसूत्र पीली धातू(आर्टिफिशियल), 01 गले का हार पीली धातू(आर्टिफिशियल), 02 माला मोतियो की, 01 लोकिट पीली धातु, 01 झुमकी पीली धातु व 01 आईफोन11 बरामद किये गये। आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्तगण सहित बाल अपचारियों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि भूपेन्द्र (एमबीए), संजू (कक्षा 4) तथा बाल अपचारी लक्की (कक्षा 9), निखिल (कक्षा 9) तक पढे है, हम चारो दोस्त है और भूपेन्द्र हमारा गैंग लीड़र है उसी के कहने पर संजू ने अपने मकान के पास रहने वाले एक मकान मे ताला लगा देखा जिसकी सूचना उसने भूपेन्द्र को दी भूपेन्द्र ने हम तीनो को संजू , निखिल, लक्की को दिनारपुर मे उस मकान के पास मिलने को कहा हम चारो दिनारपुर मे संजू के मकान के पास मिले, वहां एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था। हम चारो ने चोरी करने की योजना बनाई और संजू के

मकान के छत से होकर हम चारो संजू के पडौसी के मकान की छत पर पहुँचे जिस मकान मे ताला लगा हुआ था। छत के उपर एक जाल पड़ा हुआ था। जाल के सरिये को मोडकर प्रीत उर्फ लक्की घर के अन्दर घूस गया तथा उसने जीना का दरवाजा खोल दिया तब हम तीनो लोग छत से घर मे चले गये तथा घर मे रखी अलमारी से हम चारो ने लगभग 9 लाख रुपये कुछ सोने चाँदी के जेवरात चोरी कर लिये थे हम तीनो मकानो की छतो छतो से होते हुए संजू के घर से बाहर चले गये तथा प्रीत उर्फ लक्की के कुछ पैसे बराबर वाले मकान मे गिर गये थे, जिन्हे उठाने के लिए वह रुक गया था तभी पास के मकान मे लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज मे आ गया था सीसीटीवी फुटैज से लक्की उर्फ प्रीत की पहचान हो गई थी जिससे वह इधर उधर पुलिस के डर से भागता रहा। आज हम चारो चोरी के माल का बटवारा करने की फिराक में थे कि आपने हम लोगों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त -

.1संजू पुत्र मुन्ना निवासी दिनारपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर
.2 भूपेन्द्र पुत्र ठाठ सिंह निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर
.3 लक्की पुत्र अनिल निवासी ग्राम रंगैल थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर (बाल अपचारी)
.4 निखिल पुत्र बिन्दर निवासी दिनारपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर(बाल अपचारी)

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-81/23 धारा 380/411 भादवि थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर (विरुद्ध उपरोक्त सभी)
2. मु0अ0सं0-372/19 धारा-325/504 भादवि व 3(1)(च),3(1)(द),3(2)(va) SC/ST एक्ट (विरुद्ध भूपेन्द्र)

विवरण बरामदगी -

1. 814735/- रुपये नगद बरामद
2. 04 जोडी पाजेंब सफेद धातु
3. 04 जोडी बिछवा सफेद धातु
4. 02 सिक्के सफेद धातु
5. 01 मंगलसूत्र मोतियो का
6. 01 मंगलसूत्र पीली धातू(आर्टिफिशियल)
7. 01 गले का हार पीली धातू(आर्टिफिशियल)
8. 01 माला मोतियो की, एक लोकिट पीली धातु
9. 01 झुमकी पीली धातु
10. 01 आईफोन-11

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नेगी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार प्रभारी स्वाट टीम, सहारनपुर।
3. व0उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री अजय प्रसाद गौड़, स्वाट टीम, सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
8. हे0का0 447 अमरदीप स्वाट टीम, सहारनपुर।
9. हे0का0 07 सचिन शर्मा स्वाट टीम, सहारनपुर।

10. हे0का0 1009 दिनेश कुमार स्वाट टीम, सहारनपुर।
11. का0 405 गौरव ऱाठी स्वाट टीम, सहारनपुर।
12. का0 चालक अनिल खोखर स्वाट टीम, सहारनपुर।
13. हेका0 127 विनीत कुमार, थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
14. का0 247 राहुल उपाध्याय थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
15. का0 1259 विनीत तोमर, थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
16. का0 2217 दीपक कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट दि0 14.05.23

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे वारण्टियों/वान्छितो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेण में प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री नरेश कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त **अनिल पुत्र मानसिंह नि0 ग्राम नांगलमाफी थाना मिर्जापुर सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 390/20 धारा 60/63 आबकारी एक्ट को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनिल पुत्र मानसिंह नि0 ग्राम नांगलमाफी थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1-उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

2-का0 112 शौकीन थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 14-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.05.23 को अभियुक्त **शमशाद पुत्र इरफान निवासी ग्राम भगवानपुर रोड गागलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 चाकू बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 180/23 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शमशाद उपरोक्त का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शमशाद पुत्र इरफान निवासी ग्राम भगवानपुर रोड गागलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 नाजायज चाकू

अभि0 को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट, थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0का0 791 राजीव कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांकः 14-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर साईबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा पीड़ित के खाते से साईबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी 50000/- रूपये की शत प्रतिशत धनराशी वापस करायी गयी ।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.04.2023 को पीड़ित श्री अमरीश शर्मा द्वारा साईबर हैल्पलाईन नं0 1930 पर शिकायत संख्या 3310423006**** बावत पीड़ित के साथ 50 हजार रूपये की साईबर ठगी होने के सम्बन्ध मे दर्ज करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे साईबर ठगी की रोकथाम व साईबर ठगी मे चोरी गये रूपयो की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ साईबर हैल्पडैस्क टीम द्वारा पीड़ित श्री अमरीश शर्मा पुत्र श्री शिवचरण शर्मा नि0 मौ0 बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ सहारनपुर के साथ हुई 50 हजार रूपये की साईबर ठगी के 50 हजार रूपये शत प्रतिशत वापस कराये गये। जिसपर थाना नकुड़ साईबर हैल्पडैस्क टीम द्वारा त्वरीत कार्यवाही करते हुए पीड़ित श्री अमरीश शर्मा के 50 हजार रूपये शत प्रतिशत पीड़ित के खाते मे वापस कराये गये।

धनराशी का विवरणः-

50000/- रूपये

साईबर टीमः-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना नकुड, सहारनपुर
3. कम्पयूटर आपरेटर नमन शर्मा थाना नकुड, सहारनपुर
4. है0का0 605 भूपेन्द्र मान थाना नकुड, सहारनपुर
5. म0का0 2150 राखी भाटी थाना नकुड, सहारनपुर

दिनांकः 14-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया सामान व 01 अवैध छुरी बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे वान्छित/वारण्टी अभियुक्तो का गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.05.2023 को थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/23 धारा धारा 379 भादवि में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त **वसीम पुत्र कमरुद्दीन निवासी मोहल्ला दाऊदसराय खमरु का चौक थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वसीम उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पकडे गये अभियुक्त वसीम पुत्र कमरुद्दीन उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मै नशे का आदि हूँ तथा नशे के लिये मै चोरी कर लेता हूँ, उससे मेरा नशे का खर्चा चल जाता है। दिनांक 04.05.2023 की सुबह 05.00 बजे मैने अम्बाला रोड फायर स्टेशन के सामने इलेक्ट्रानिक्स की दुकान की छत पर रखे एसी के कॉपर के पाइपो को ब्लैड से काटकर चुरा लिया था । कुछ पाइपो को मैने राह चलते किसी आदमी को बेच दिया था जिसको मै नही जानता हूँ तथा पैसो को नशे में खर्च कर दिया था । साहब यह छुरी जो मुझसे बरामद हुई है इसे मै चोरी के समय लोगो को डराने धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ तथा बरामद ब्लैड से मै एसी के पाइप को काट लेता हूँ। आज मै उसी चोरी के बचे हुये कापर के पाइप को बेचने के लिये जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वसीम पुत्र कमरुद्दीन निवासी मोहल्ला दाऊदसराय खमरु का चौक थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

1.ए0सी0 का 01 पुराना कॉपर का पाइप
2.लोहा काटने की आरी का 01 ब्लैड
3.01 नाजायज छुरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वसीम पुत्र कमरुद्दीनः-

1.मु0अ0सं0 36/13 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 38/13 धारा 349/398/401 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3.मु0अ0सं0 40/13 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4.मु0अ0सं0 63/14 धारा 110 जी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 139/20 धारा 188/269/271 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

6.मु0अ0सं0 126/23 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7.मु0अ0सं0 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2.उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4.है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर